भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 1 और 2 मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां
प्रस्तावना

1. इस खंड में, जो कि इस (श्रृंखला) में चालिसवां है, 31 मार्च 2011 की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋण से संबंधित व्यापक आंकड़े तथा बैंकों के कर्मचारीयों की संख्या से संबंधित जानकारी प्रस्तुत है। ये आंकड़े भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैकों के कार्यालयों से, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां (बीएसआर) 1 और 2, वार्षिक सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहित किये गये हैं। प्रकाशन के पूर्ववर्ती शीर्षक, अर्थात् 'बैंकिंग सांख्यिकी' को मार्च 2000, खंड 29 को परिवर्तित करके 'भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां' कर दिया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य यह रहा है कि इस खंड में प्रकाशित आंकड़ो के स्रोत तथा प्रकृति को उजागर किया जाए तथा बैंक के एक दूसरे प्रकाशन, अर्थात् 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां', जो कि विभिन्न सांविधिक विवरणियों तथा अन्य सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से संग्रहित आंकड़ों पर आधारित हैं, उसके मूल अंतर को स्पष्ट किया जाए। बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में बैंक के अन्य प्रकाशनों के बारे में सूचना परिशिष्ट में दी गयी है।

2. बैंकिंग क्षेत्र की नीति में हुए परिवर्तनों और अन्य गतिविधियों के अनुसार तथा राष्ट्रीय औद्योगित वर्गीकरण (एन.आई.सी.) 2004 के अनुरुप समान कोडिंग प्रणाली स्वीकार करने हेतु मू.सां.वि. 1 विवरणी में मार्च 2008 के सर्वेक्षण से संशोधन किया गया है। जिसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

क. किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड तथा अन्य क्रेडिट कार्ड, खाते के प्रकार में मौजूदा व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड के साथ शामिल किये गये हैं।

ख. उधारकर्ता के संगठन की कूट संख्या पुनर्रचित की गयी है। सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत, वित्तीय और गैर वित्तीय संगठनों की परिभाषा की गई है। स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एम.एफ.आइ.) के लिये अलग कूट संख्या सम्मिलित की गयी है।

ग. व्यवसाय / कार्याकलाप कूट प्रणाली पुन:संगठित की गई है। व्यक्तिगत ऋण दो अलग समूहों में विभाजित किये गये हैं, स्टाफ ऋण और स्टाफ-सदस्यों को छोडकर। मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं अलग प्रभागों में समूहित की गई हैं।

घ. कृषी को दिये गये अप्रत्यक्ष वित्त, आर.पी. सी.डी. के नविनतम परिपत्र संख्या आर.पी. सी.डी. प्लान बीसी. 84/04.09.01/2006 07 दिनांक 30.4.2007 और आर.पी.सी.डी. प्लान बीसी. 42/04.09.01/2007-08 दिनांक 12.12.2007 के तहत, पुनर्रचित किये गये हैं। आवास के अप्रत्यक्ष वित्त तथा लघु उद्यम क्षेत्र के आंकड़े (कॅप्चुअर) करने के लिए नयी कूटसंख्या प्रस्तुत की गयी है।

ङ कृषि और इससे जुडे कार्यकलाप तथा अन्य प्रयोजनों के ऑन-लेंडिंग ऋणों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों को अलग अलग समूहित किया गया है।

च. कृषि और इससे जुडे कार्यकलापों, लघु व सूक्ष्म उद्यमों, आवास क्षेत्र, शैक्षिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजनों को ऑन-लेंडिंग

ऋणों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के ऋणों का वर्गीकरण किया गया है।

छ. 'ऋण खातों का स्वरुप' के जगह पर उधार लेनेवाली इकाई के आकार पर आधारित नयी 'उधारकर्ता की श्रेणी' प्रस्तुत की गई है।

ज. जमानती, गैर जमानती ऋणों के आंकड़े कैप्चुअर करने के लिए एक नया मानदंड 'प्रतिभूती गिरवी रखना / ऋणों के लिए गारंटी कि स्थिति' प्रस्तुत किया गया है।

झ. 'ऋणों के स्थिर / अस्थिर ब्याज दर' के आंकडों को कैप्चुअर करने के लिए एक फ्लैग प्रस्तुत किया गया है।

मू.सां.वि.-1 भाग ख भी संशोधित की गई है। मू.सां.वि. 1 क के कार्यकलाप / व्यवसाय के कोडिंग प्रणाली में हुए परिवर्तन के कारण, मू.सा.वि.-1 भाग ख के 2 अंकी कूट की जगह 3 अंकी कूट प्रस्तुत किये हैं जिनमें कुछ नये कूट शामिल किए हैं। तथापि सभी संशोधित कूटों के आंकड़े इस प्रकाशन में शामिल नहीं किये गये हैं।

इस खण्ड के कई सारणियों में प्रस्तुत किये गये आंकडे 2008 से पूर्व वर्षों के सारणियों के आंकडों से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। मार्च 2009 खण्ड से सारणियों में विस्तृत कार्यकलाप/व्यवसाय के अनुसार कई नये क्षेत्र शामिल किये गये हैं।

3. मू.सां.वि.-1 कुल बैंक ऋण से संबंधित है और उसमें मीयादी ऋण, नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये बिल, नयी बिल बाजार योजना के अंतर्गत पुन: भुनाये गये बिल एवं बैंकों से देय राशियां शामिल हैं जब कि, भारत में रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत विवरणियों पर आधारित बैंक ऋण के आंकड़ों में बैंको से देय राशियां तथा नयी बिल मार्केट योजना के अंतर्गत पुन: भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं। मू.सां.वि.-1 विवरणी दो भागों में विभाजित की गयी है-भाग क और भाग ख (मू.सां.वि.1क और मू.सां.वि.1ख नाम से)। वर्ष 1998 तक, मू.सां.वि.-1 क में ₹ 25,000 से ज्यादा व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले उधार खातों का समावेश था। लेकिन मार्च 1999 सर्वेक्षण से ऋण सीमा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर मू.सां.वि.-1 क में, ₹ 0.2 मिलियन से ज्यादा ऋण सीमा वाले व्यक्तिगत खातों का समावेश है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण सीमा तब ₹ 25000 तक ही रखी थी। ऋण सीमा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, मार्च 2002 के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये भी मू.सां.वि.-1क में ऋण सीमा ₹ 0.2 मिलियन की गयी है। मू.सां.वि.-1क में उधार खातों से संबंधित जानकारी, जैसे ऋण के उपयोग का स्थान (जिला और जनसंख्या समूह), खाते का प्रकार, संगठन का प्रकार, व्यावसायिक श्रेणी, उधारकर्ता की कूट श्रेणी, जमानती / गैर-जमानती ऋण कूट, स्थिर / अस्थिर ब्याज दर का फ्लैग, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि इन विभिन्न विशेषताओं के साथ संकलित की जाती है। मू.सां.वि. 1 ख में ₹ 0.2 मिलियन तक की व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में जानकारी व्यापक व्यावसायिक श्रेणियों के लिए समेकित रूप में प्राप्त की जाती है। मू.सां.वि. -1 ख में ऋण सीमा के आकार पर आधारित दो अलग वर्ग हैं जो कि एक ₹ 25000/- तक और दूसरा ₹ 25000/- से अधिक और ₹ 0.2 लाख मिलियन तक। लघु उधार खातों से संबंधित जानकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) मू.सां.वि.-1 ख से प्राप्त की गयी है।

4. मू.सां.वि.-2 में प्रत्येक बैंक कार्यालय जमाराशियों की जानकारी चालू, बचत एवं मीयादी जमाराशियों में विभाजित करके प्रस्तुत करता है। महिलाओं के जमा खातों संबंधी जानकारी अलग से दी गयी है। इस विवरणी में विभिन्न परिपक्वता अवधियों के अनुसार

मीयादी जमाराशियों की जानकारी के भी आंकड़े दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मू.सां.वि.-2 में, विवरणी की संदर्भ तारीख को अलग-अलग बैंक कार्यालयों के लिंग और श्रेणी (अर्थात अधिकारी, लिपिकीय और सहायक) के अनुसार स्टाफ संख्या संबंधी जानकारी संकलित की जाती है। जमाराशियों में अंतर बैंक जमाराशियां शामिल नहीं हैं। चालू जमाराशियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मांग पर या 14 दिनों से कम की सूचना पर आहरित की जाने वाली जमाराशियां (बचत जमाराशियों को छोडकर) या 7 दिनों से कम तक की परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमाराशियां, (ii) 14 दिनों तक आहरित की जा सकने वाली मांग जमाराशियां (iii) अदावी जमाराशियां, (iv) अतिदेय सावधि जमाराशियां, (v) नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट खातों में ऋण शेष और, (vi) यदि जमाराशियों के स्वरुप में हो तो असमायोजित आकस्मिकता खाते। बचत जमाराशियां वो हैं जो बैंकों द्वारा उनकी बचत बैंक जमाराशि नियमावली के अंतर्गत स्वीकृत की जाती हैं। कम से कम 7 दिनों तथा उसके ऊपर की नियत परिपक्वता अथवा कम से कम 14 दिनों की नोटिस की शर्त वाली जमाराशियां, मीयादी जमाराशियां हैं। इनमें (क) 14 दिनों की नोटिस के बाद देय जमाराशियां (ख) नकदी प्रमाणपत्र (ग) संचयी और आवर्ती जमाराशियां (घ) कुरी और चिट जमाराशियां और (ङ) मीयादी जमाराशियों के रूप में विशेष जमाराशियां भी शामिल हैं। सिध्दांत रूप से मू.सां.वि.-2 में दर्शायी गयी जमाराशियां और धारा 42(2) में दी गयी कुल जमाराशियां एक समान ही है। मू.सां.वि.-2 में, व्यापक ब्याज दर सीमा, तथा जमाराशियों के आकार के अनुसार, बैंक शाखाएं मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण देती है। इन आंकड़ो के आधार पर इस खंड में ब्याज दर सीमा और जमाराशियों के आकार के अनुसार मीयादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण दर्शाने वाली सारणी प्रस्तुत की गयी है। मीयादी जमाराशियों के उर्वरित परिपक्वता के आंकड़े, जो मार्च 2003 में समाविष्ट किए गये, इस विवरणी के भाग - v द्वारा, संकलित किए गये हैं और उसका प्रतिशत वितरण इस खंड में प्रस्तुत किया गया है।

5. मार्च 2011 के अंतिम दिन को कार्यरत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 92,117 कार्यालयों में से 82,148 कार्यालयों से मू.सां.वि.-1 विवरणी प्राप्त हुई है। 84,825 कार्यालयों से मू.सां.वि.-2 विवरणी प्राप्त हुई है। सूचना न देनेवाले कार्यालयों के मामले में, आंकड़े सर्वेक्षण के पिछले दौर के आधार पर तथा तिमाही विवरणी में उपलब्ध, 31 मार्च 2011 की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण (मू.सां.वि.-7) संबंधी जानकारी के आधार पर अनुमानित किये गये हैं।

खंड की रुपरेखा

6. इस खंड में पांच भिन्न अनुभाग हैं जो कि विभिन्न श्रेणी संबंधी उनके विशेष वर्गीकरण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण एवं जमाराशियों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इस खंड के अनुभाग 1 में वाणिज्य बैंकिंग अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर जमाराशियां और ऋण संबंधी सारांश आंकड़ों के संबंध में सामान्य जानकारी प्रस्तुत है। अनुभाग 2 में जनसंख्या समूह और बैंक समूह के अनुसार वर्गीकृत जमाराशियां और बकाया ऋण का राज्यवार वितरण दिया गया है। अनुभाग 3 में जमाराशियों के प्रकार के अनुसार जमाराशियों के वितरण पर आंकड़े प्रस्तुत हैं। अनुभाग 4 में विभिन्न विशेषताएं जैसे ऋण सीमा का ब्याज दर, संगठन का प्रकार, खाते का प्रकार, बैंक समूह, राज्य और जनसंख्या समूहवार, आदि के अनुसार बकाया ऋण का वर्गीकरण दिया गया है। अनुभाग 5 में, इन्हीं आकड़ों का उधारकर्ता के व्यवसाय के अनुसार और वर्गीकरण किया है।

7. मू.सां.वि.-1 क विवरणी जिला और जनसंख्या समूह की पहचान कराती है जहां ऋण का उपयोग हुआ है। तथापि ऐसी जानकारी मू.सा.वि.-1 ख विवरणी में संकलित नहीं की जा रही है। इन खातों के संबंध में, जो अपेक्षा से अधिक लघु आकार के हैं, यह मान लिया जाता है, कि उसी स्थानपर ऋण का उपयोग किया जाता है, जहांसे उसे मंजूरी दी गयी हो।

राज्य और जनसंख्या समूहवार ऋण संबंधी आंकड़े उपयोग के स्थान पर आधारित हैं। जब कि अनुभाग 2 में ऋण, मंजूरी के स्थान के आधार पर है। अनुभाग 1 में ऋण को जमाराशियों के साथ प्रस्तुत करते समय (सारणी 1.3, 1.4 और 1.5) ऋण के आंकड़े, मंजूरी के स्थान पर आधारित है और अलग से प्रस्तुत करते समय (सारणी 1.10 और 1.11) ये उपयोग के स्थान पर आधारित है। सारणी 1.6 से 1.8 में ऋण के आंकड़े मंजूरी तथा उपयोग दोनों की स्थानों के आधारपर दिये गये हैं ताकि तुलना करने में सुविधा हो। 'सारणियों पर टिप्पणियां' में ऋण के सारणियों की सूची प्रस्तुत हैं जो ऋण के मंजूरी की जगह तथा उपयोग में लायी जगह के अनुसार सारणियाँ दर्शाती हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

8. उक्त खंड के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत कुछ सारणियों के संबंध में संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियां नीचे प्रस्तुत हैं।

इस खंड के अनुभाग 1 की सारणी 1.1 में सारणियों पर टिप्पणियां में दिये गये ब्यौरे के अनुसार विभिन्न स्रोतों से संकलित आंकड़ों के आधार पर वाणिज्य बैंकिंग की प्रगति एक नजर में प्रस्तुत की गयी है। सारणी 1.9 में विस्तृत रूप में व्यवसाय के अनुसार बकाया ऋण का वर्गीकरण दिया गया है। सारणियां 1.13,1.14 और 1.15 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बकाया राशियों का क्रमश: उनके ब्याजदर की सीमा, खाते का प्रकार और संगठन के अनुसार ₹ 0.2 मिलियन से ज्यादा व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले खातों का अधिक संक्षिप्त रूप में वितरण दिया है। सारणी 1.16 में लघुउधार खातों का उनके ऋणकर्ताओं की व्यापक श्रेणीयों के अनुसार 'व्यक्ति' और 'अन्य' तथा लिंगवार प्रतिशत वितरण दिया गया है। सारणी 1.17 में ₹ 0.2 मिलियन और उनसे कम छोटे उधारकर्ताओं का जनसंख्या समूहवार तथा व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण दिया गया है। 1.21 से 1.23 तक की सारणियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की व्यापक स्वामित्व श्रेणी के अनुसार जमाराशियों की सूचना दी गयी है। सारणियां 1.24 से 1.26 तक क्रमश: व्यापक स्वामित्व श्रेणी, जनसंख्या समूह, बैंक समूह के अनुसार मीयादी जमाराशियों की (मूल) परिपक्वता स्वरुप प्रस्तुत करती हैं। उर्वरित परिपक्वता की अवधि के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मीयादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण सारणी सं. 1.27 में प्रस्तुत किया है। सारणी 1.28 में मीयादी जमाराशियों का वितरण ब्याज दर सीमा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। सारणी 1.29 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का उनके आकार के अनुसार प्रतिशत वितरण दिया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों के (मूल) परिपक्वता का स्वरुप, जनसंख्या समूह तथा राज्य के साथ, स्थूल स्वामित्व के अनुसार, सारणी सं. 3.4 व 3.5 में दिया है। अनुभाग 4 में सारणियां 4.1 से 4.6 तक और अनुभाग 5 में सारणियां 5.1 से 5.3 तक जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा ₹ 0.2 मिलियन से ज्यादा है ऐसी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का संक्षिप्त वितरण दिया है।

9. इस खंड में प्रस्तुत बैंक युक्त केंद्रों के जनसंख्या समूह, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर है। इसलिए, इस खंड के सारणियों में प्रस्तुत किये गये जनसंख्या समूहवार आंकड़े 2006 से पूर्व वर्षों के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं। जनसंख्या समूह निम्नानुसार परिभाषित हैं:

(i) 'ग्रामीण' समूह में 10,000 तक की जनसंख्या वाले सभी केंद्र शामिल हैं।

(ii) 'अर्ध-शहरी' समूह में 10,000 से अधिक और 0.1 मिलियन से कम तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

(iii) ‘शहरी’ समूह में 0.1 मिलियन से अधिक और 1 मिलियन से कम तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

(iv) ‘महानगरीय’ समूह में 1 मिलियन और उससे अधिक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

10. बैंकों के निम्नानुसार समूह बनाये गये हैं

(i) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक
(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक
(iii) विदेशी बैंक
(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(v) निजी क्षेत्रीय बैंक

11. बैंक समूह, ‘राष्ट्रीयकृत बैंक’ में आइडीबीआइ लिमिटेड के आंकड़े शामिल हैं।

12. ‘निजी क्षेत्रीय बैंकों’ का संदर्भ पुराने तथा नये भारतीय निजी क्षेत्रीय बैंकों से हैं जिनको पहले 2008 के खंड तक ‘अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक’ के नामसे संबोधित किया जाता था।

13. इस खंड की विभिन्न सारणियों में दी गयी जानकारी पर आधारित ऋण और जमाराशियों से संबंधित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को मुख्य बातों में सम्मिलित किया गया है।

14. आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण सारणियों के जोड़ के आंकड़ों का घटक मदों के जोड़ से मेल नहीं खाता। एक मिलियन इकाई 1,000,000 के समकक्ष हैं। इस खंड में सर्वत्र ‘-’ चिन्ह शून्य अुवा नगण्य दर्शाता है। कोष्ठकों (सारणी 1.2 को छोड़कर) में दिये गये आंकड़े कुल जोड का प्रतिशत दर्शाते हैं। खंड के अंत में प्रत्येक सारणियों पर उपयुक्त टिप्पणियां दी गयी हैं।

15. यह खंड सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग ने तैयार किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी-8/9,
पो.बा.सं. 8128,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

दिनांक : 19 अप्रैल, 2012

****